निगरानी प्रकरण क्रमांक ३४४५/दो/१५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ३४४५/दो/१५ विरूध्द आदेश दिनांक २०/८/२०१५ पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक ७७४/बी १२१/ १२-१३

भगवानदास तनय कुदउ कोरी (ग्राम कोटवार)
निवासी इन्द्रप्रस्थ कालोनी, खुरई तहसील खुरई जिला सागर म0 प्र0
- आवेदक

- विरूध्द -

भागीरथ पिता जगतसिंह कुर्मी
निवासी ग्राम रीठौर, तहसील खुरई
जिला सागर म0 प्र0
- अनावेदक

श्री प्रकाश राज ,अभिभाषक, आवेदकगण

आ दे श
(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्र क्र ३४४५/दो/१५ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अपर आयुक्त के प्र क्र ७७४/बी १२१/ १२-१३ में पारित आदेश दि २०-८-१५ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

१ मैंने आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया.

२ प्रकरण का सम्बन्ध दो बिन्दुओं, बंदोबस्त त्रुटि सुधार एवं सेवा भूमि का कोटवार द्वारा विक्रय कर दिए जाने, से है.

आवेदक भगवानदास कोटवार द्वारा, उसे प्राप्त सेवाभूमि पुराना ख नं १२/३ रकबा २.०४ है. के नये ख नं १० का रकबा ०.७९ है. हो जाने पर, इस १.२५ है. कमी रकबे की पूर्ती एवं बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन लगाया गया, जिसपर कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही के दौरान अनावेदक भागीरथ द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि आवेदक की भूमि का रकबा उसके द्वारा सेवाभूमि का अंशभाग बेच दिए जाने के कारण कम हुआ है. इस पर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक, भू अभिलेख से दि ६-५-१३ को सुधार हेतु तुलनात्मक सूची का प्रस्ताव बुलाया गया, और दि १-८-१३ को सेवाभूमि का विक्रय गलत मानने के साथ साथ इस रकबे की कमी का कारण बंदोबस्त की त्रुटि मानते हुए आदेश कर दिया गया.

कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक भागीरथ ने अपर आयुक्त, सागर के समक्ष अपील की, जहां आक्षेपित आदेश दि २०-८-१५ से, सेवाभूमि के अंश का विक्रय होने और आवेदक के कमी रकबे की पूर्ति का आदेश किये जाने, दोनों बातों को एक साथ लिखे जाने की वजह से, उन्होंने कलेक्टर के आदेश को विरोधाभासी पाते हुए निरस्त कर दिया.

इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी आवेदन लगा.

३ तर्कों और नस्ती के अभिलेखों के परिशीलन से मैं निम्न बिंदु प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाटा हूँ:

(एक) अधी भू अभि के प्रतिवेदन दि ६-५-१३ के पत्रक से जहां एक ओर यह स्पष्ट है कि आवेदक भगवानदास की भूमि का रकबा २.०४३ है. से घटकर बंदोबस्त उपरान्त ०.७९ है हो गया था, वहीं यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक भागीरथ की भूमि का रकबा १.६१९ है. से बढ़कर २.७३ है. बंदोबस्त उपरान्त हो गया था.

(दो) आवेदक ने सेवा भूमि से कोई रकबा बेचा है या नहीं, और यदि हाँ तो कितना और किसको, इस सम्बन्ध में कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट निष्कर्षों का अभाव है.

(तीन) मान. न्या. द्वि. व्यव. न्या. वर्ग-२ खुरई के व्य. वाद क्र १७ए/२०१३ में पारित आदेश दि २७-११-१३ से भागीरथ के पक्ष में तथा भगवानदास एवं मप्र राज्य के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई है कि वाद के निराकरण तक 'भागीरथ को ख नं ११ रकबा २.७३ है. भूमि के विवादित भाग से विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल ना' किया जाए.

४ उपरोक्त के प्रकाश में मैं सर्वप्रथम तो यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त द्वारा जिन बिउन्दुओं का आधार लेते हुए कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है वे सही हैं, अतः अपर आयुक्त के आदेश को मैं यथावत रखता हूँ.

साथ ही आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं तथा उपलब्ध कराए गए विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियों के प्रकाश में, मैं न्यायहित में कलेक्टर सागर को यह निर्देश देना आवश्य समझता हूँ कि वे

(१) यह देखें कि क्या आवेदक ने उसको प्राप्त सेवा भूमि में से कोई रकबा बेचा है या नहीं, और यदि हाँ तो कितना और किसको. इस सम्बन्ध में वे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल कर योग्य कार्यवाही करें, तथा

(२) यदि अधी भू अभि के प्रतिवेदन दि ६-५-१३ के पत्रक में लिखे अनुसार आवेदक भगवानदास की भूमि का रकबा २.०४३ है. से घटकर बंदोबस्त उपरान्त ०.७९ है हो गया है और अनावेदक भागीरथ की भूमि का रकबा

१.६१९ है. से बढ़कर २.७३ है. बंदोबस्त उपरान्त हो गया है, तो सबसे पहले तो इस सम्बन्ध में उभयपक्ष को समुचित अवसर देते हुए स्थिति पर पूर्ण स्पष्टता हासिल करते हुए बोलते स्वरुप में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करें, और तदुपरांत, यदि न्यायहित में आवश्यकता हो तो, मान. न्या. द्वि. व्यव. न्या. वर्ग-२ खुरई के व्य. वाद क्र १७ए/२०१३ में पारित आदेश दि २७-११-१३ में लिखे अनुसार भागीरथ की भूमि ख नं ११ रकबा २.७३ है. के विवादित भाग सहित समस्त विषयांकित भूमियों के सम्बन्ध में विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए, उचित न्यायपूर्ण कार्यवाही, उभयपक्ष को पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए, नियमानुसार सुनिश्चित करें, ताकि सभी सम्बंधित व्यक्तियों को उनके वैध अधिकार की भूमि, बंदोबस्त के पूर्व की स्थिति तथा समय समय पर हुए वैध संव्यवहारों आदि के प्रकाश में एवं उनके अनुसार, प्राप्त भी रहे और अभिलेखों में सही सही दर्ज भी रहे.

कलेक्टर सागर को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण इस प्रक्रम पर रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं कलेक्टर, सागर सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश

ग्वालियर